सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-107/प्रेस नोट/2021 **27 फरवरी 2021**

प्रेस–विज्ञप्ति

थाना- जीयनपुर

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.02.2021 को आवेदक थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में विपक्षी द्वारा आवेदक की ल ड़की का हाथ पकड़ कर गाडी पर बैठाना , कपड़ा फाड़ देने , गाली गुप्ता देने , मारने पिटने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था । प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु 0अ0सं0 67/21 धारा 323/504/506/354ख IPC 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **दिनांक 26.02.2021 को उ0नि0 दिनेश प्रसाद मय हमराह हे0का0 विक्रमा प्रसाद,हे0का0 अमरेश सेंगर के मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त की तलाश मे घर पर दविश दी गयी । अभियुक्त प्रदीप घर पर मौजूद मिला जिसे कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 22.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रदीप यादव पुत्र श्यामचरन उर्फ गुड्डू यादव निवासी इसरापार टेकुवा माधोपट्टी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 67/21 धारा 323/504/506/354ख IPC 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. **उ0नि0 दिनेश प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़**
2. **हे0का0 विक्रमा प्रसाद थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़**
3. **हे0का0 अमरेश सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़**

थाना-फूलपुर

01 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध/मादक पदार्थ के बिक्री के रोकथाम व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में व प्र0नि0 रत्नेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराहियान द्वारा दि0 26. 02.2021 को समय करीब 18.15 बजे अभियुक्त सोनू कुमार प्रजापति पुत्र राम अजोर प्रजापति साकिन तिवरिया कला थाना फूलपुर आजमगढ़ को 01 किलो 650 ग्राम अवैध गांजा के साथ आंधीपुर मोड से अन्तर्गत धारा **8/20 NDPS ACT** में गिरफ्तार कर चालान चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त पूछताछ में अपने जुर्म को स्वीकार कर रहा है, बता रहा है कि अपने परिवार के जीविकोपार्जन हेतु वह यह कार्य करता है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

सोनू कुमार प्रजापति पुत्र राम अजोर प्रजापति साकिन तिवरिया कला थाना फूलपुर आजमगढ़ उम्र करीब 24

बरामदगी-

01 किग्रा 650 ग्राम अवैध गांजा

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 26/21 धारा 8/20 NDPS ACTथाना फूलपुर, आजमगढ़

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह प्रभारी चौकी अम्बारी थाना फूलपुर, आजमगढ़
2. हे0का0 अवधेश यादव चौकी अम्बारी थाना फूलपुर, आजमगढ़
3. का0 विरेन्द्र यादव चौकी अम्बारी थाना फूलपुर, आजमगढ़

थाना जहानागंज

पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

जहानागंज थाना क्षेत्र के वादी द्वारा थाने पर आकर अपनी पुत्री उम्र करीब 11 वर्ष **की** गुम हो जाने के सम्बन्ध मे **लिखित तहरीर दी।** तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय **पर** मु0अ0सं0 30/21 धारा 363 भादवि विरुद्ध अज्ञात के पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में दौराने विवेचना अभियुक्त मनोज शुक्ला पुत्र रामदुलारे शुक्ला ग्राम जेवा थाना पुवाया जिला शाहजहाँपुर का नाम प्रकाश मे आया तथा विवेचना से धारा 363,376 भादवि व धारा ¾ पाक्सो एक्ट की वृद्धी की गयी है

आज दिनांक 27.02.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ **सुधीर कुमार सिंह** के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे मु0अ0सं0 30/21 धारा 363.366.376. भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त मनोज शुक्ला पुत्र रामदुलारे शुक्ला ग्राम जेवा थाना पुवाया जिला शाहजहाँपुर को कुशरना तिराहा से समय करीब 6.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं030/21 धारा 363.366. 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तः-

मनोज शुक्ला पुत्र रामदुलारे शुक्ला ग्राम जेवा थाना पुवाया जिला शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1- उ0नि0 विजय नारायण त्रिपाठी

2- का0 अमित यादव

3- का0 प्रवीण कुमार सिंह

4- म0का0 शिल्पा तिवारी

थाना- रानी की सराय

02 पशु चोर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.02.2021 को वादी मुकदमा श्री कमलेश यादव पुत्र फूलबदन सा 0 भंगहा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 22/23.02.2021 की रात्रि मे खुद की भैंस चोरी हो जाने के बावत अज्ञात व्यक्तिंयो के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 14/21 धारा 379 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान चोर/लूटेरे/वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय दिलीप कुमार सिंह के निर्देशन में दिनांक 27.02.2021 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराहियान के द्वारा मुखबिर की सूचना पर ऊचीगोदाम बाजार से मुकदमा अ0सं0 14/ 2021 धारा 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अबूल कैश पुत्र नन्हे इरशाद निवासी ग्राम भीटीया मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम अहमद पुत्र दिलशेर अहमद ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को समय 12.30 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगणो के द्वारा पूछताछ किया गया तो बताये कि साहब हम बेरोजगार है मै नसीम अहमद पुत्र दिलशेर अहमद ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ व हमारे साथ अबूल कैश पुत्र नन्हे इरशाद निवासी ग्राम भीटीया मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ व बब्बू पुत्र लिट्टन, बुनेल पुत्र कल्लू, भोला पुत्र हजारी निवासीगण भीटीया मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर व आरिफ पुत्र मैनुद्दिन निवासी ग्राम लम्हनी महराजगंज बदलापुर जौनपुर के साथ मिलकर जिसमे आरिफ द्वारा अपने साथ एक पिकअप गाड़ी लेकर आता है हम सभी लोग साथ मिलकर रात के समय घर के दरवाजे पर बंधी भैंस को खोलकर गाड़ी मे लाद लेते है और रातो रात ले जाकर दूसरे जगह बेच देते है जो पैसा मिलता है वह आपस मे बाँट लेते है इससे हम लोगो के परिवार की परवरिश होता रहता है। दिनांक 22/23.02.2021 की रात्री भंगहा मे एक व्यक्ति के घर से भैस चुराये थे जिसमे ये सभी लोग शामिल थे इसके अलावा उसके बगल मे एक घर के पास दूसरी भैस खोलने का प्रयास किये लेकिन उसके घर के व्यक्ति को जाग जाने के उपरान्त हम लोग वहाँ से भाग गये। उक्त चोरी की हुई भैंस को रात मे ले जाकर आरिफ द्वारा बेच दिया गया है। हम लोगो का हिस्सा अभी आरिफ के पास ही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 14/21 धारा 379 भा0द0वि0 थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. नसीम अहमद पुत्र दिलशेर अहमद ग्राम कोटिला थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
2. अबूल कैश पुत्र नन्हे इरशाद निवासी ग्राम भीटीया मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

फरार अभियुक्तगण-

1. बब्बू पुत्र लिट्टन, 2. बुनेल पुत्र कल्लू, 3. भोला पुत्र हजारी निवासीगण भीटीया मुहम्मदपुर थाना गम्भीरपुर 4. आरिफ पुत्र मैनुद्दिन निवासी ग्राम लम्हनी महराजगंज बदलापुर जौनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 संजय कुमार सिंह, का0अमित वर्मा, का0 राकेश कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 14 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।